

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर

मुकाम अलवर

महेश सैनी बनाम अब्दुल रहीम

किस्म मुकदमा अपील नं० कासन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11.01.2023	<p>आज यह पत्रावली वकील अपीलांट ने पेश की। दर्ज रजिस्टर हों। अप्रार्थीगण जर्गे नोटिस तलब हो। पत्रावली दिनांक 20.03.2023 को पेश हो।</p> <p align="center">उपखण्ड अधिकारी, अलवर।</p> <p>20-3-23 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्या में व्यस्त है। दिनांक 25-4-23 को पेश हो। श्री मोहम्मद सी.ए.सी. की 0.7. पक्ष की पत्रावली दि० 25-4-23 को पेश हो।</p> <p>25-4-23 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्या में व्यस्त है। दिनांक 10-7-23 को पेश हो।</p> <p>10-7-23 पत्रावली पेश हुई। श्री मोहम्मद सी.ए.सी. की पत्रावली दिनांक 25-4-23 को पेश हो।</p> <p>21-9-23</p>	<p>UT Form 1/2014, 6, 7</p> <p align="right">20/3/23</p>

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

21.9.23
वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य
स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते.....
दिनांक...11-10-23.....को पेश हो।

11.10.23
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों
में व्यस्त है। दिनांक...13.11.23.....
को पेश हो।

रीडर

13-12-23
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों
में व्यस्त है। दिनांक...21.01.24.....
को पेश हो।

रीडर

21.2.24
वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य
स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते.....
दिनांक...15.4.24.....को पेश हो।

15.4.24
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों
में व्यस्त है। दिनांक.....
को पेश हो। 24-6-24

उभय पक्ष उप०। उक्त कार्य स्थगित
जित्त बाधक अन्य शिकायत स्थगित
..... को पेश हो।
प्रति

24/6/24
वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य
स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते.....
दिनांक...3/9/24.....को पेश हो।

रीडर

3-9-24
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों
में व्यस्त है। दिनांक.....
को पेश हो। 18-11-24

रीडर

फर्द अहकाम

[नियम 26]

अलत उपखण्ड अधिकारी, अलवर

मुकाम अलवर

बनाम

क्रमा

नं०

सन्

	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>18-11-24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक..... को पेश हो।</p> <p>15-1-25 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक..... को पेश हो।</p> <p>24-3-25 इकोल दादी/बकुलाय उप०। बार का कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते..... दिनांक.....को पेश हो।</p> <p>13-5-25 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक..... को पेश हो।</p> <p>15-7-25 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक..... को पेश हो।</p> <p>23-9-25 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक..... को पेश हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

13-10-20

पतावली केस ई 2 वसुधा उषा निधी
पुस्तक के निरक्षण जाकर खुले - पाठानुय
यै खुलाप जाय निधीय पुति पुस्तक के
तदनीलपाइ खेलाइ को निरक्षण जाकर
बाप त कमील पतावली दारिद्र्य वपार इ

10/10/20
जिज बाबर इन्द्र जितनीद
..... कोसनी 18
उपसण्ड अधिकारी
अलयर

10/10/20
जिज बाबर इन्द्र जितनीद
..... कोसनी 18
अलयर

10/10/20
जिज बाबर इन्द्र जितनीद
..... कोसनी 18
अलयर

10/10/20
जिज बाबर इन्द्र जितनीद
..... कोसनी 18
अलयर

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर जिला अलवर (राज.)

मु.नं.
5/08

पीठासीन अधिकारी : श्री माधव भारद्वाज (आई0ए0एस)
किस्म
अपील
तारीख दायर
11.01.2023

तारीख निर्णय
13.10.2025

उनवान


- 1-महेश सैनी पुत्र फोजीराम सैनो जाति माली उम्र करीब साल निवासी विवेकानंद नगर सैक्टर 4 अलवर जिला अलवर
- 2-सत्यनारायण यादव पुत्र छज्जूराम यादव जाति अहीर उम्र करीब साल निवासी ग्राम जांगरू बिचली पट्टी पो. खोह तह. लक्ष्मणगढ जिला अलवर हाल ग्राम भाखेडा प्रताप बोहरा कालोनी तहसील व जिला अलवर
- 3-अली मोहम्मद पुत्र हाजी कमरुदीन जाति मेव निवासी ग्राम माचडी तहसील व जिला अलवर
- 4-विजयलता पत्नी राजवीर सिंह उम्र करीब साल जाति राजपूत निवासी बडेर तहसील व जिला अलवर हाल ग्राम भाखेडा प्रातप बोहरा कालोनी तहसील व जिला अलवर
- 5-श्रीमति बिमला पत्नी पूरण मल जाति अहीर आयु करीब साल निवासी घाबाई जी का बाग तह. व जिला अलवर हालवासी ग्राम भाखेडा प्रताप बोहरा कालोनी तहसील व जिला अलवर
- 6-भूपसिंह पुत्र बाबूलाल गुर्जर उम्र करीब साल निवासी मौ. अखेपुरा अलवर तहसील व जिला अलवर
- 7-भगवान यादव पुत्र श्री लक्ष्मण यादव जाति यादव (अहीर) उम्र करीब साल निवासी ग्राम पो. अकबरपुर तहसील व जिला अलवर
- 8-महेश तंवर पुत्र श्री हरिओम सिंह तंवर जाति राजपूत उम्र करीब साल निवासी तंवरकालोनी लाल डिग्गी अलवर

अपीलांटान

बनाम

- 1-अब्दुल रहीम पुत्र स्व० रज्जाक जाति मेव उम्र करीब निवासी भाखेडा तहसील व जिला अलवर
- 2-आजाद पुत्र स्व० रज्जाक जाति मेव उम्र करीब निवासी भाखेडा तहसील व जिला अलवर
- 3-ईसलाम पुत्र स्व० रज्जाक जाति मेव उम्र करीब निवासी भाखेडा तहसील व जिला अलवर
- 4-ईसलामी पुत्री रुज्जाक जाति मेव उम्र करीब साल निवासी भाखेडा तहसील व जिला अलवर
- 5-जन्नती पुत्री रज्जाक जाति मेव उम्र करीब साल निवासी भाखेडा तहसील व जिला अलवर
- 6-ईसाक पुत्र स्व० रज्जाक जाति मेव उम्र करीब निवासी भाखेडा तहसील व जिला अलवर
- 7-साबूदीन पुत्र स्व० रज्जाक जाति मेव उम्र करीब निवासी भाखेडा तहसील व जिला अलवर
- 8-सरपंच ग्राम पंचायत केसरपुर पंचायत समिति उमरैण अलवर

रेस्पाडेन्टान


उपखण्ड अधिकारी
अलवर

अपील विरुद्ध इंतकाल संख्या 740 आदेश दिनांक 21-07-2016 वाके ग्राम
भाखेडा, ग्राम पंचायत केसरपुर, पंचायत समिति उमरेण तहसील अलवर
निर्णय

अपीलान्टस ने राज. भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत जयें वकील ने निवेदन किया जिसका सक्षिप्त में कथन इस प्रकार है कि वर्तमान अपील विरुद्ध इंतकाल संख्या 740 वाके भाखेडा, ग्राम पंचायत केसरपुर दिनांक 21-7-16 के विरुद्ध है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को होने से अपील न्यायालय श्रीमान में पेश की जा रही है आलोच्य इंतकाल दिनांक 21-7-16 का है जिसकी जानकारी मिन अपीलांट को पूर्व में नहीं थी उक्त इंतकाल की जानकारी सर्वप्रथम अपीलांट को दिनांक 21-9-2022 को तब हुई जब मिन अपीलांट को पट्टा हेतु कागजात की आवश्यकता हुई जिस पर दिनांक 21-9-2022 को ही अपीलांट ने उक्त इंतकाल की नकल लेने हेतु आवेदन किया जो नकल अपीलांट को 22-9-2022 को प्राप्त हुई नकल मिलने के उपरांत मिनअपीलांट को पूर्ण जानकारी हुई कि रेस्पा. संख्या एक ला० 7 के नाम राजस्व रेकार्ड में इंतकाल दर्ज कर दिया गया है जिस पर मिनअपीलांट ने अपने अधिवक्ता से सलाह मशवरा किया ओर कानूनी जानकारी प्राप्त की तो वकील सहाब ने अपील प्रस्तुत करने की सलाह दी जिस पर अपील के खर्चे के लिए पैसे का इंतजाम कर आज अपील तैयार करा कर बिना देरी जानकारी से अदर अवधी पेश की जा रही है अवधी कन्डोन हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम अलहेदा से पेश है तहत अदालत का निर्णय दिनांक 21-7-16 विधि विरुद्ध व तथ्यों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

आराजी खसरा नंबर 283, 284 वाके ग्राम भाखेडा में है जो आराजी रेस्पा० 1 ला० 7 के पिता व पति रज्जाक पुत्र मल्लड मेव की खातेदारी की आराजी थी तथा रज्जाक पुत्र मल्लड मेव से उक्त आराजी खसरा नंबर 283, 284 का सम्पूर्ण भाग अपीलांट व अन्य ने जरिये बयनामा खरीद किया हुआ है। तथा मौके पर काबिज है रेस्पा० का कोई संबंध सरोकार किसी प्रकार का नहीं है। तथा रज्जाक स्वर्गवास हो जाने के उपरांत रेस्पाडेन्ट ने उक्त आराजी की बाबत इंतकाल सं० 740 विधि विरुद्ध के अपने नाम दर्ज करा लिया असल रेस्पा० ने मिन अपीलांट के बाला बाला राजस्व कर्मचारियान से मिली भगत कर बेजा रूप से अपने नाम इंतकाल दर्ज करवा लिया।

विवादित आराजी से असल रेस्पा. का कोई संबंध सरोकार किसी प्रकार का नहीं है क्योंकि उक्त आराजी रज्जाक पुत्र मल्लड ने अपीलांट व अन्य को बेचान अपने जीवनकाल में ही कर दी। इसलिये इंतकाल संख्या 740 में उक्त आराजी खसरा नंबर 283, 284 की बाबत रेस्पाडेन्टस 1 ला० 7 के नाम को कलम किया जाना न्यायोचित है। यह कि अन्य एतराज वक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहत अदालत ग्राम पंचायत केसरपुर का आदेश दिनांक 21-7-16 बाबत इंतकाल नंबर 740 वाके केसरपुर में से रेस्पा० 1 ला० 7 का नाम कलमजन किया जाकर अपीलांट के नाम का इन्द्राज किये जाने के आदेश सादिर फरमाने की कृपा करे। अन्य उचित आज्ञा जो न्याय संगत हो अता फरमाने की कृपा करे।

my
उपस्यण्ड अधिकारी
अलवर

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्टस जरिये नोटिस तलब किये गये रेस्पोंडेन्टान संख्या 01 लगायत 07 की ओर से श्री इन्द्रसिंह शेखावत विद्वान एडवोकेट ने वकालतनामा मय जबाव पेश किया कि अपील के बिन्दु स0 1 से 8 स्वीकार है अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर इन्तकाल न0 740 वाके ग्राम केसरपुर मे से हम रेस्पोंडेन्ट 1 लगायत 7 का नाम कलमजन किया जाकर अपीलान्ट के नाम इन्द्राज किये जाने मे हम रेस्पा0 को कोई आपत्ति नहीं है अपीलान्ट का नाम इन्द्राज कर दिया जावे हमे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादीयान की ओर से अनापत्ति अर्थात अपीलार्थी के कथनो मे सहमति व्यक्त की गई। वकूलाय की बहस सुनी गई वकील अपीलान्ट की अपील के बावत वकील रेस्पोंडेन्टान ने कथन किया कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तो रेस्पोंडटान को कोई आपत्ति नहीं है

हमने पत्रावली का अवलोकन किया वकूलाय को सुना गया बहस पर मनन करने के उपरान्त पत्रावली का अवलोकन करने तथा वकील की दलीलें सुनने के उपरांत पाया गया कि प्रार्थना पत्र दफा 5 पर उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए इसे स्वीकार किया गया है तथा बहस पर सम्यक् विचार किया गया है।

प्रथम दृष्ट्या, पारित आलोच्य आदेश अपास्त योग्य प्रतीत होता है। फलस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है इस प्रकार ग्राम भाखेडा, ग्राम पंचायत केसरपुर, तहसील अलवर जिला अलवर की आज्ञा इंतकाल संख्या 740 दर्ज दिनांक 11.07.2016 स्वीकृत दिनांक 21.07.2007 (विरासत) को इस सीमा तक निरस्त किया जाता है कि प्रकरण को तहसीलदार अलवर को निम्न निर्देशों सहित पुनः विचारार्थ प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण को भू-राजस्व अधिनियम एवं अन्य राजस्व नियमों के अनुसार पर्याप्त अवसर एवं समय प्रदान कर, विधिक साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए तथा तत्पश्चात नामांतरण संबंधी कार्यवाही विधिपूर्वक पुनः संपादित की जाए।

निर्णय आज दिनांक 13-10-2025 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

माधव भारद्वाज (I.A.S.)
उपरखण्ड अधिकारी, अलवर

माधव भारद्वाज (I.A.S.)
उपरखण्ड अधिकारी, अलवर
अलवर